अध्याय – 1
सामान्य

अध्याय – 1
सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014–15 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर–भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान राज्यों को समानुदेशित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में से राज्य का अंश एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़े **तालिका 1.1** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	● कर राजस्व	21,419.33	26,973.44	30,581.70	33,552.16	36,567.31
	● कर–भिन्न राजस्व	5,719.77	7,482.73	7,000.22	7,704.99	10,375.23
	योग	**27,139.10**	**34,456.17**	**37,581.92**	**41,257.15**	**46,942.54**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	● विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के शुद्ध आगम में राज्य का अंश	15,638.52	18,219.14	20,805.16	22,715.27	24,106.80[1]
	● सहायक अनुदान	9,076.56	9,928.77	12,040.20	11,776.82	17,591.44
	योग	**24,715.08**	**28,147.91**	**32,845.36**	**34,492.09**	**41,698.24**
3.	**राज्य की कुल प्राप्तियाँ (1 तथा 2)**	**51,854.18**	**62,604.08**	**70,427.28**	**75,749.24**	**88,640.78**
4.	**3 से 1 का प्रतिशत**	**52**	**55**	**53**	**54**	**53**

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व कुल प्राप्तियों (₹ 46,942.54 करोड़) का 53 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्तियों का शेष 47 प्रतिशत भारत सरकार से प्राप्त हुआ ।

1.1.2 **तालिका 1.2** वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है :

---

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे में विवरण पत्रक क्रमांक 14 ''राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से'' का अवलोकन करें । शीर्ष ''राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश'' के आंकड़ों, जो वित्त लेखे में क–कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित हैं, एवं जिसमें मुख्य शीर्ष ''0020–निगम कर, 0021–आय पर कर–निगम कर से भिन्न, 0032–सम्पत्ति कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–केन्द्रीय उत्पाद कर एवं 0044–सेवा कर'' शामिल हैं, को राज्य द्वारा वसूल की गई राजस्व प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में 'विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश' में शामिल किया गया है ।

तालिका 1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2014–15 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2014–15 का बजट अनुमान	2013–14 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	9320.00 10256.76	11830.00 12516.73	14000.00 14856.30	16500.00 16649.85	19500.00 18135.96	(+) 7.00	(+) 8.93
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	3400.00 3603.42	4050.00 4316.49	4800.00 5078.06	5750.00 5907.39	6730.00 6695.54	(–) 0.51	(+) 13.34
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	1900.00 2514.27	2000.00 3284.46	3200.00 3944.24	4000.00 3400.00	4000.00 3892.77	(–) 2.68	(+) 14.49
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	1500.00 1746.20	1815.00 2047.46	2150.00 2395.03	2640.00 2578.74	2900.00 2686.39	(–) 7.37	(+) 4.17
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1090.00 1476.32	1370.00 1773.32	1370.00 1477.71	1600.00 1972.20	2050.00 2010.20	(–) 1.94	(+) 1.93
6.	वाहनों पर कर	1050.00 1198.38	1285.00 1357.12	1400.00 1531.25	1650.00 1598.93	2000.00 1823.84	(–) 8.81	(+) 14.07
7.	भू–राजस्व	182.46 360.81	500.31 279.06	550.00 443.59	572.00 366.23	700.10 243.10	(–) 65.28	(–) 33.62
8.	अन्य कर	227.54 263.17	267.69 1398.80	842.00 855.52	670.00 1078.82	1109.50 1079.51	(–) 2.70	(+) 0.06
योग		**18670.00** **21419.33**	**23118.00** **26973.44**	**28312.00** **30581.70**	**33382.00** **33552.16**	**38989.50** **36567.31**		

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

तालिका 1.2 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में (–)0.51 एवं (–)65.28 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में करों के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–)33.62 प्रतिशत से लेकर (+)14.49 प्रतिशत की भिन्नता थी।

सम्बन्धित विभागों द्वारा भिन्नता के निम्नलिखित कारण प्रतिवेदित किये :

राज्य उत्पाद शुल्क – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (13.34 प्रतिशत) मुख्यतः प्रतिभूति जमा में आठ से 10 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन फीस – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि "स्टाम्प–न्यायिक–स्टाम्पों का विक्रय", एवं "पंजीयन शुल्क–दस्तावेजो को पंजीयन करने के लिये शुल्क" के अंतर्गत वृद्धि के फलस्वरूप हुई।

भू–राजस्व – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (33.62 प्रतिशत) एवं बजट अनुमानों की तुलना में कमी (65.28 प्रतिशत), मुख्यतः "अन्य प्राप्तियॉ" के अंतर्गत कम प्राप्तियॉ थी जो कि असमय वर्षा एवं ओला वृष्टि तथा राजस्व अधिकारियों को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के आवंटन के फलस्वरूप हुई।

वाहनों पर कर – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (14.07 प्रतिशत) मुख्यतः "अन्य प्राप्तियॉ" के अंतर्गत हुई।

1.1.3 वर्ष 2010–11 से 2014–15 की अवधि के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर–भिन्न राजस्व के विवरण **तालिका 1.3** में दर्शाये गये हैं :

तालिका 1.3
कर–भिन्न राजस्व के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2014–15 में वृद्धि (+)/ कमी (–) की तुलना का प्रतिशत	
		बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	बजट अनुमान वास्तविक	2014–15 का बजट अनुमान	2013–14 की वास्तविक प्राप्तियाँ
1.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	1650.00 2121.49	2540.00 2038.31	2300.00 2443.39	2220.00 2306.17	2500.00 2813.66	(+) 12.55	(+) 22.01
2.	ब्याज प्राप्तियां	167.09 298.56	166.90 1571.41	202.00 301.47	204.15 317.85	1133.60 1260.65	(+) 11.21	(+) 296.62
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	1000.00 836.61	1027.32 878.81	969.04 910.38	1100.00 1036.80	1250.23 968.77	(–) 22.51	(–) 6.56
4.	लोक निर्माण	42.31 36.77	55.54 47.92	63.55 33.22	38.49 46.92	49.50 50.82	(+) 2.67	(+) 8.31
5.	विविध सामान्य सेवाऐं	20.09 143.00	22.07 145.44	19.88 30.40	16.95 33.69	17.48 222.37	(+) 1172.14	(+) 560.05
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	113.42 85.14	117.50 106.05	93.49 239.15	184.40 380.22	165.50 140.21	(–) 15.28	(–) 63.12
7.	पुलिस	65.00 62.55	85.00 63.19	100.00 83.59	107.04 71.92	100.00 93.50	(–) 6.5	(+) 30.01
8.	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	49.54 22.77	40.11 30.16	21.00 44.83	46.65 57.76	56.25 120.16	(+) 113.62	(+) 108.03
9.	स्हकारिता	8.60 17.05	9.01 11.65	9.59 13.02	10.06 12.24	9.97 16.58	(+) 66.30	(+) 35.46
10	वृह्द एवं मध्यम सिंचाई	82.31 194.89	90.44 263.15	96.18 137.74	116.86 138.48	120.09 137.55	(+) 14.54	(–) 0.67
11	अन्य कर.भिन्न प्राप्तियां	1123.64 1900.94	1845.11 2326.64	3452.27 2763.03	3538.40 3302.94	1356.27 4550.96	(+) 235.55	(+) 37.79
योग		**4322.00** **5719.77**	**5999.00** **7482.73**	**7327.00** **7000.22**	**7583.00** **7704.99**	**6758.89** **10375.23**		

(स्रोतः मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं बजट अनुमान)

तालिका क्र. 1.3 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 में बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियो में (–)22.51 से (+)1,172.14 प्रतिशत की भिन्नता थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 2013–14 एवं 2014–2015 कर के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक प्राप्तियों में (–)63.12 प्रतिशत से (+)560.05 प्रतिशत की भिन्नता थी।

अलौह धातु खनन – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियो की तुलना में वृद्धि (22.01 प्रतिशत) का मुख्य कारण "खनिज रियायत शुल्क, किराया एवं रॉयल्टी" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

ब्याज प्राप्तियाँ – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (296.62 प्रतिशत) का मुख्य कारण "सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से ब्याज" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

विविध सामान्य सेवायें – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (560. 05 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अदावाकृत जमा राशि" एवं "घटाऐ–वापसियाँ" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

अन्य प्रषासनिक सेवायें – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में कमी (63. 12 प्रतिशत) का मुख्य कारण, उपशीर्ष "न्याय प्रशासन के अंतर्गत अर्थदण्ड एवं जब्ती" के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी थी।

पुलिस – वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में वृद्धि (30 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अन्य सरकारों एवं अन्य पक्षों को भेजी गई पुलिस" के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि थे।

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य – वर्ष 2013–14 की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि (108.03 प्रतिशत) का मुख्य कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्तियों में वृद्धि था।

सहकारिता – प्राप्तियों में वृद्धि (35.46 प्रतिशत) का मुख्य कारण "अंकेक्षण शुल्क" के अंतर्गत वृद्धि थे।

अन्य कर भिन्न प्राप्तियॉ – प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण शीर्ष "0202–सामान्य शिक्षा, खेल, कलाएं एवं संस्कृति" के अंतर्गत में प्राप्तियों में वृद्धि थे।

बजट अनुमानों एवं वर्ष 2013–14 की वास्तविक प्राप्तियों से भिन्नता के कारण, संबंधित विभागो द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी (मई एवं अगस्त 2015 के मध्य) प्रस्तुत नहीं किये गये।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों में 31 मार्च 2015 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1,016.75 करोड़ थी जिसमें से ₹ 488.49 करोड़ की राशि **तालिका 1.4** में दिए गए विवरण के अनुसार पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी :

तालिका 1.4
राजस्व के बकाया का विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 को बकाया राशि	31 मार्च 2014 को पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	शासन का प्रत्युत्तर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	603.91	305.80	विभाग ने स्वीकार किया ₹ 603.91 करोड में से ₹ 483.73 की वसूली मुश्किल थी। ₹ 603.91 करोड़ में से ₹ 92.58 करोड़, आर.आर.सी के माध्यम से वसूली न होने के कारण लंबित थे, ₹ 50.75 करोड़ न्यायालयीन प्रकरणों के कारण, ₹ 108.47 करोड़ की कुर्की शामिल थी, ₹ 3.47 करोड विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे, ₹ 83.87 करोड़ बीमार मिलों से लम्बित थे,

				₹ 7.55 करोड़ अपलेखन हेतु अनुशंसित किये गये एवं शेष ₹ 257.22 करोड़ रूपये अन्य स्तरों पर लंम्बित थे।
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	76.64	68.53	₹ 10.17 करोड़ की राशि उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वसूली नहीं की जा सकी तथा ₹ 46.26 करोड़ की राशि वसूली योग्य न होने के कारण इसके अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है।
3.	मुद्रांक एवं पंजीयन	168.92	89.96	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं अगस्त 2015) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
4.	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	10.32	अप्राप्त	अनुरोध किये जाने के पश्चात् भी (मई एवं अगस्त 2015) बकाया की वसूली किस स्तर पर लम्बित है इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	156.96	24.20	₹ 156.96 करोड़ में से ₹ 125.25 करोड आर.सी.सी के माध्यम से वसूली न हो पाने के कारण लम्बित थे, ₹ 9.23 करोड़ न्यायलयीन प्रकरणों के कारण लंबित थे तथा ₹ 23 लाख, विभागीय अधिकारियों के पास लम्बित थे, ₹ 3.67 करोड, बीमार कपड़ा मिलों से लंबित थे एवं ₹ 18.58 करोड़ अन्य स्तरों पर लम्बित थे।
योग		**1016.75**	**488.49**	

तालिका 1.4 से यह भी देखा जा सकता है कि राजस्व के कुल बकाया का 59 प्रतिशत वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित था। इसके अलावा वाणिज्यक कर विभाग के लगभग 80 प्रतिशत बकाया की वसूली मुश्किल बताई गई थी।

1.3 निर्धारण का बकाया

प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गये प्रकरण तथा वर्ष के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण **तालिका 1.5** में वर्णित है :

तालिका 1.5
निर्धारण का बकाया

कर का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण	वर्ष के दौरान निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कालम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	2012–13	88,124	2,32,539	3,20,663	2,00,552	1,20,111	62.54
	2013–14	1,20,111	2,78,856	3,98,967	2,30,404	1,68,563	57.75
	2014–15	1,68,563	3,45,803	5,11,366	3,42,242	1,69,124	66.93
वृत्ति कर	2012–13	63,411	89,708	1,53,119	1,05,945	47,174	69.19
	2013–14	47,174	96,790	1,43,964	89,473	54,491	62.15

	2014–15	54,491	89,140	1,43,631	1,03,005	40,626	71.72
प्रवेश कर	2012–13	62,066	1,93,494	2,55,560	1,64,443	91,117	64.35
	2013–14	91,117	2,28,794	3,19,911	1,87,253	1,32,658	58.53
	2014–15	1,32,658	3,06,952	4,39,610	2,89,572	1,50,038	65.87
विलासिता	2012–13	420	1,337	1,757	871	886	49.57
	2013–14	886	1,517	2,403	1,256	1,147	52.27
	2014–15	1,147	1,831	2,978	2,037	941	68.40
निर्माण संविदाओं पर कर	2012–13	2,620	7,371	9,991	6,305	3,686	63.11
	2013–14	3,686	7,793	11,479	5,192	6,287	45.23
	2014–15	6,287	12,724	19,011	9,164	9,847	48.20

इस प्रकार वर्ष 2014–15 में वाणिज्य कर /वैट, प्रवेश कर और विलासिता कर के निर्धारण संबंधी प्रकरणों के निराकरण में गत वर्ष की तुलना में वृद्वि हुई किन्तु निर्माण संविदाओं पर कर के प्रकरण में, वर्ष 2012–13 की तुलना में उपलब्धि कम रही।

1.4 विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन

विभाग द्वारा पकड़े गये कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिये गये प्रकरण तथा अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगो का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है

तालिका 1.6
कर अपवंचन

स. क.	कर/शुल्क का नाम	31 मार्च 2014 को लंबित प्रकरण	2014–15 के दौरान पकड़े गये प्रकरण	योग	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई		31 मार्च 2015 का लंबित प्रकरणों की संख्या
					प्रकरणों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	विक्रय, व्यापार आदि पर कर एवं प्रवेश कर	269	352	621	274	269.10	347
2.	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	13576	12036	25612	10368	32.98	15244
योग		**13845**	**12388**	**26233**	**10642**	**302.08**	**15591**

इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क के लंबित प्रकरण सबसे अधिक थे।

1.5 वापसियों के लंबित प्रकरण

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2014–15 के प्रारंभ में वापसियों से सम्बंधित लंबित प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत्य वापसियों तथा वर्ष 2014–15 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या का उल्लेख **तालिका 1.7** में किया गया है :

तालिका 1.7
वापसियों के लंबित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स.क.	श्रेणी	विक्रय कर/वैट		विद्युत पर कर एवं शुल्क		मुद्रांक एवं पंजीयन फीस		राज्य उत्पाद शुल्क	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	वर्ष के प्रारंभ में लंबित दावे	512	65.16	169	4.18	1482	4.8	11	0.27
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5475	1134.12	27	4.48	882	12.52	14	0.82
3.	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	5368	1067.66	22	1.30	759	9.51	15	0.90
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	619	131.62	174	7.36	1605	7.81	10	0.19
5.	वापसी का प्रतिशत	89.66	89.03	11.22	15.01	32.11	54.91	60	82.57

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि ऊर्जा विभाग तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क विभाग में वापसी के लम्बित प्रकरणों के निराकरण की गति अत्यधिक धीमी थी।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/शासन का प्रत्युत्तर

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), मध्यप्रदेश शासन द्वारा लेन–देन की नमूना जाँच तथा नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन करने हेतु शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है । इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदन, जिनमें निरीक्षण के दौरान पायी गयीं एवं स्थल पर अनिराकृत अनियमितताएं सम्मिलित रहती हैं, जिन्हे निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों को जारी किया जाता हैं एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही हेतु इनकी प्रतियाँ निकटतम उच्चतर प्राधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों पर त्वरित अनुपालन, कमियों एवं चूकों का सुधार तथा निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर आरम्भिक उत्तर के माध्यम से महालेखाकार को अनुपालन प्रतिवेदित किया जाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागों के प्रमुखों तथा शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

हमने दिसम्बर 2014 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा की तथा पाया कि 4,273 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 18,181 कण्डिकाएं, जिनमें राशि ₹ 8,450.35 करोड़ अन्तर्निहित थी, जून 2015 के अन्त तक लम्बित थीं, जैसा कि पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों सहित **तालिका 1.8** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनो का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,695	3,757	4,273
लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	14,752	16,280	18,181
अन्तर्निहित राजस्व की राशि (₹ करोड में)	6,783.96	7,520.60	8,450.35

1.6.1 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा अंतर्निहित राशियों का विभागवार विवरण **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है :

तालिका 1.9
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्निहित राशि
1.	वित	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1,215	6,370	1,297.76
2.	ऊर्जा	विद्युत पर कर एवं शुल्क	64	222	494.10
3.	राज्य उत्पाद शुल्क	राज्य उत्पाद शुल्क	279	1,110	997.73
4.	राजस्व	भू–राजस्व	1,179	3,897	2,743.34
5..	परिवहन	वाहनों पर कर	474	2,815	404.11
6.	मुद्रांक एवं पंजीयन	मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	576	1,903	589.69
7.	खनन एवं भौमिकी	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	286	1,472	1,904.21
8.	मनोरंजन	मनोरंजन शुल्क	200	392	19.41
योग			**4,273**	**18,181**	**8,450.35**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्ति हेतु अपेक्षित प्रथम उत्तर भी 2014–15 तक जारी 130 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए प्राप्त नहीं हुए थे । उत्तरों की अप्राप्ति के कारण लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की बड़ी संख्या इस तथ्य का द्योतक है कि कार्यालय प्रमुख एवं विभाग प्रमुख, महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गयी कमियों, चूकों एवं अनियमितताओं के सुधार हेतु कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई है।

शासन को एक प्रभावशाली व्यवस्था निर्मित करना चाहिये जिसमें कि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर समुचित प्रत्युत्तर शीघ्रतापूर्वक दिये जा सकें।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों की कण्डिकाओं के निराकरण की प्रगति पर निगरानी रखने एवं उन पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु शासन लेखापरीक्षा समितियां गठित करता है। वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आहूत नहीं की गयी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा लम्बित कंडिकाओं के प्रभावी एवं त्वरित निराकरण के लिए सभी विभागों द्वारा अधिक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

1.6.3 संवीक्षा हेतु लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना

कर राजस्व/कर –भिन्न राजस्व कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है तथा इसकी सूचना, सामान्यतः लेखापरीक्षा आरम्भ होने से एक माह पहले, विभागों को जारी की जाती है जिससे कि वे लेखापरीक्षा जाँच हेतु वांछित अभिलेख तैयार रख सकें ।

वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल 3,953 कर निर्धारण नस्तियाँ, पंजियां एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए । सभी प्रकरणों में कर राशि की गणना नहीं की जा सकी। इस प्रकार के प्रकरणों का विभागवार विवरण **तालिका 1.10** दिया गया है

तालिका 1.10
लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न किया जाने का विवरण

विभाग का नाम	वर्ष जिसमें लेखापरीक्षित किया जाना था	लेखापरीक्षित नहीं हुए प्रकरणों की संख्या	अन्तर्निहित राजस्व
1.	2.	3.	5.
भू–राजस्व	2014–15	63	–
उत्पाद शुल्क	2014–15	06	–
वाणिज्यिक कर	2014–15	3,884	–
योग		**3,953**	

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कण्डिकाएं महालेखाकार द्वारा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने एवं छः सप्ताह के भीतर अपने प्रत्युत्तर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती हैं । विभाग/शासन से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक कण्डिका के अन्त में सदैव अंकित किया जाता है ।

यह प्रतिवेदन जिसमें 26 कंडिकाऐं तथा तीन निष्पादन लेखापरीक्षायें सम्मिलित थी, सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को अप्रैल तथा जुलाई 2015 के मध्य प्रेषित की गयी थीं। विभागों के प्रमुख सचिव/सचिवों को अनुस्मारक जारी करने के उपरान्त भी निष्पादन लेखापरीक्षा सहित किसी भी प्रारूप कण्डिका का जवाब नहीं भेजा और इन विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है । यद्यपि निष्पादन लेखापरीक्षा के निर्गम सम्मेलन के दौरान शासन से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए है उन्हे प्रतिवेदन में उचित स्थान पर शामिल किया गया हैं।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन – संक्षिप्त स्थिति

राज्य के विधायी मामलों के विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों (नवम्बर 1994) के अनुसार, लोक लेखा समिति की अनुशंसाओ पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन, लोक लेखा समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने की तिथि के छः माह के भीतर जारी किये जाने चाहिये। इन प्रावधानो के प्रतिकूल, प्रतिवेदनो की लेखापरीक्षा कण्डिकाओं पर कार्यवाही प्रतिवेदन अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जा रहे थे। मध्यप्रदेश शासन के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 तथा 2014 को समाप्त वर्ष के प्रतिवेदनो में सम्मिलित 247 कण्डिकाऐं राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2011 से जुलाई 2015 के मध्य रखी गयीं। राज्य राजस्व विभागों (वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस तथा खनन) की 124 कण्डिकाओं पर विस्तृत कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त नही हुये (मार्च 2015)।

वर्ष 2009–10 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चयनित 27 कण्डिकाओ पर चर्चा की गई तथा इन पर कोई अनुशंसा नही की गई।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों के निराकरण हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रमुखता से दर्शाये गये मुद्दों का विभागों/शासन द्वारा निराकरण करने की प्रणाली का विश्लेषण करने हेतु पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित **राज्य उत्पाद शुल्क विभाग** से सम्बन्धित

कण्डिकाओं एवं समीक्षाओं पर की गयी कार्यवाही का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अग्रलिखित कण्डिकायें 1.7.1 से 1.7.3 पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के क्रम में संसूचित प्रकरणों तथा वर्ष 2004–05 से 2013–14 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रकरणों के निराकरण में राजस्व शीर्ष–0039 के अधीन राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के निष्पादन की विवेचना करती है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं तथा 31 मार्च 2015 को इनकी संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.11** में दर्शाई गई है :

तालिका 1.11
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभिक शेष			वर्ष के दौरान शामिल			वर्ष के दौरान निराकरण			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	कंडिकाएं	मौद्रिक मूल्य	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं	नि.प्र.	मौद्रिक मूल्य	कंडिकाएं
2005–06	353	1,191	604.59	27	153	70.02	09	72	44.56	371	1.272	630.05
2006–07	371	1,272	630.05	24	127	65.64	15	116	46.19	380	1,283	649.50
2007–08	380	1,283	649.50	31	173	89.51	23	251	154.55	388	1,205	584.46
2008–09	388	1,205	584.46	43	242	98.48	58	307	184.27	373	1,140	498.67
2009–10	373	1,140	498.67	45	302	181.53	72	348	109.70	346	1,094	570.50
2010–11	346	1,094	570.50	23	168	146.02	165	474	71.35	204	788	645.17
2011–12	204	788	645.17	26	173	85.89	28	178	118.50	202	783	612.56
2012–13	202	783	612.56	36	226	159.11	4	88	58.01	234	921	713.66
2013–14	234	921	713.66	29	188	198.37	4	81	45.31	259	1,028	866.72
2014–15	259	1,028	866.72	30	164	185.00	0	27	21.83	289	1,169	1,029.89

शासन द्वारा विभागीय समिति एवं महालेखाकार कार्यालय के मध्य पुरानी कण्डिकाओं के निराकरण के लिये तदर्थ समिति की बैठक की व्यवस्था की जाती है। उपरोक्त तालिका से अवलोकित किया जा सकता है कि 2005–06 के प्रारम्भ में 353 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 1,191 कण्डिकाऐं लम्बित थी, वर्ष 2014–15 के अंत तक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या घटकर 289 एवं कंडिकाओं की संख्या 1,169 हो गयी। लंबित कण्डिकाओं का कम संख्या में निराकरण इस तथ्य का द्योतक है कि विभाग द्वारा लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कण्डिकाओं के निराकरण के पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कण्डिकाओं, इनमें से विभाग द्वारा स्वीकृत कंडिकाओं तथा विभाग द्वारा प्रतिवेदित वसूल की गयी राशि की स्थिति **तालिका 1.12** में दर्शाई गई है

तालिका 1.12
स्वीकृत प्रकरणों में वसूली

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	मौद्रिक मूल्य सहित स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरूद्ध वर्ष वसूली की गई	31.03.15 तक वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2004–05	9	9.60	4	0.88	0	0.04
2005–06	7	7.67	5	2.62	0.30	0.55
2006–07	1 समीक्षा	4.57	1	1.62	0.29	0.65
2007–08	11	7.95	5	1.82	0.15	0.21
2008–09	18	21.68	8	1.80	0.005	0.64
2009–10	9	5.09	5	3.90	0.007	0.35
2010–11	8	38.74	1	6.73	0.007	0.007
2011–12	1+1 समीक्षा	49.31	1	2.24	0.008	0.008
2012–13	1 (नि.ले.प.)	42.47	3	17.08	0.05	2.32
2013–14	8	60.43	3	4.31	0.02	0.02

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि पिछले दस वर्षो में वसूली की प्रगति अत्यंत धीमी रही। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही 'वसूली योग्य बकाया' के रूप मे संबंधित पक्षो से की जानी थी। स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही हेतु विभाग/शासन के पास कोई कार्यप्रणाली नही है

शासन के स्वीकृत वसूली के प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करना चाहिये एवं इसकी निगरानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

1.7.3 विभागों/शासन द्वारा स्वीकार की गई अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा आयोजित की गई प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षाएं सम्बन्धित विभागों/शासन को सूचनार्थ एवं उनके उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती हैं । इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर एक निर्गम सम्मेलन में चर्चा भी की जाती है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षाओं को अन्तिम रूप देते समय विभाग/शासन के दृष्टिकोण को इनमें सम्मिलित किया जाता है ।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग पर पिछले पाँच वर्षों में निम्नलिखित निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गयी। अनुशंसायें **तालिका 1.13** में दी गई है।

तलिका 1.13

वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाओं का सार
2011–12	मदिरा पर उत्पाद शुल्क का संग्रहण	04	1. आसवनी में अल्कोहल उत्पादन के लिये रखा हुआ शीरा एवं अन्य मुलों पर नियंत्राण के लिये आसवनी नियमों में प्रावधान किया जाना; 2. बीयर के न्यूनतम उत्पादन के लिये मानदण्डों का निर्धारण किया जाना 3. लायसेंस फीस के समायोजन उपरांत संगणित की गई दुकानों के पुनरीक्षित वार्षिक मूल्य पर अहाता लायसेंस फीस की वसूली के लिये आवश्यक प्रावधान लाना; और
			4. आन्तरिक लेखापरीक्षा क्रियाविधि को सशक्त करना ।

निष्पादन लेखापरीक्षा पर उपरोक्त सभी अनुशंसायें, निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग द्वारा स्वीकार की गई, तथापि इनके कार्यान्वयन की कोई सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है (नवम्बर 2015)।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को राजस्व संग्रहण, पुरानी कंडिकाओं की प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाते समय जोखिम का विश्लेषण करने के लिये शासन के राजस्व एवं कर प्रशासन, जैसे कि बजट भाषण, राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र, राज्य एवं केन्द्र के वित्त आयोग के प्रतिवेदन, कराधान सुधार समिति की अनुशंसायें, पिछले पाँच वर्षो के दौरान राजस्व अर्जन का संख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के घटकों, लेखापरीक्षा एवं इनके पिछले पाँच वर्षों के प्रभाव को आधार बनाया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 1,039 इकाईयों में से 443 इकाइयों की लेखापरीक्षा योजना बनाई गई तथा 434 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई जो कि कुल योजना का 98 प्रतिशत थी। राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा समूह के भोपाल में स्थानान्तरण के कारण वाणिज्यक कर विभाग की आठ इकाइयों की लेखापरीक्षा योजनानुसार नहीं हो सकी। खनन विभाग की एक इकाई, मेसर्स एमपी मोनेट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड को आवंटन रद्द किये जाने के कारण योजनानुसार लेखापरीक्षा नहीं हो सकी।

कर प्रशासन की दक्षता की जाँच के उद्देश्य से उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त तीन निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिती

वर्ष 2014–15 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, खनन प्राप्तियॉ, वन प्राप्तियॉ एवं विद्युत शुल्क की 515 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 13,55,453 प्रकरणों में ₹ 1,486.50 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों ने वर्ष 2014–15 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये 2,49,393 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 411.49 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया तथा 654 प्रकरणों में ₹ 4.85 करोड़ संग्रहीत किये ।

1.10 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 29 कंडिकायें (उपरोक्त वर्णित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा जाँचों तथा पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान संसूचित प्रेक्षणों में से चयनित जिन्हें पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका) सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 614.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव अंतर्निहित है।

विभागों/शासन ने ₹ 153.15 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 1.06 लाख की वसूली की जा चुकी है । शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इनकी विवेचना अनुवर्ती अध्यायों II से VIII में की गई है।